# मध्यप्रदेश विधान सभा

## संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

## मंगलवार, दिनांक 15 दिसम्बर, 2015 (अग्रहायण 24, शक सम्वत् 1937)

**विधान सभा पूर्वाह्न 10:33 बजे समवेत हुई.**

**अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.**

### 1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 18 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24 एवं 25 ) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 159 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 175 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

### 2. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री भारत सिंह कुशवाह, सदस्य ने ग्वालियर नगर निगम में शामिल ग्रामों में पेयजल संकट होने,
(2) श्री शैलेन्द्र पटेल, सदस्य ने इछावर क्षेत्र के माऊखेड़ी से अमलाहा सड़क मार्ग की जर्जर हालत होने,
(3) श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने श्योपुर के कराहल के ग्रामों में निर्मित तालाबों की टूट फूट को सुधारे जाने,
(4) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य ने श्योपुर जिले की चंबल नहर में राजस्थान से पर्याप्त मात्रा में पानी न छोड़ने से समस्या होने,
(5) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य ने जिला अनूपपुर के तहसील पुष्पराजगढ़ की ग्राम पंचायत किरगी में नाली का निर्माण न होने,
(6) श्री सोहनलाल बाल्मीक, सदस्य ने परसिया के जमुनिया गांव में कोल कम्पनी द्वारा कृषकों की भूमि अधिग्रहीत कर उन्हें नौकरी प्रदान न किये जाने,
(7) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने भोपाल के लालपरेड ग्राउन्ड में चल रहे वन मेले से नाड़ी वैद्यों को भगाये जाने तथा
(8) श्री कमलेश्वर पटेल, सदस्य ने सिंगरोली एवं सीधी जिलों के सड़क मार्ग का निर्माण न होने,

सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत की गईं.

### 3. शून्यकाल में उल्लेख

(1) सर्वश्री बाला बच्चन, उपनेता प्रतिपक्ष एवं रामनिवास रावत, सदस्य ने उल्लेख किया कि त्रिस्तरीय पंचायती राज्य संगठन के आव्हान पर ग्राम पंचायत व जनपद के पदाधिकारियों द्वारा अपने वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों को लेकर आन्दोलन किया गया था. उन्हें अधिकार विहीन बनाने के साथ पुलिस द्वारा लाठीचार्ज कर बंद कर दिया गया. इस पर स्थगन प्रस्ताव भी दिया गया है. जिस पर चर्चा होनी चाहिए.

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत मंत्री द्वारा उक्त कथन का खण्डन कर अधिकार वापस नहीं लिए जाने का उल्लेख किया गया.

(2) श्री दिनेश राय, सदस्य ने शून्यकाल में उल्लेख किया कि सिवनी में जलशोधन संयंत्र में अमानक ब्लीचिंग पावडर का उपयोग किये जाने के संबंध में ध्यानाकर्षण दिया है.

### 4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने -

(क) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वित्त लेखे, वर्ष 2014-15, खण्ड-I एवं खण्ड-II, तथा

(ख) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के विनियोग लेखे, वर्ष 2014-15,

पटल पर रखे.

(2) श्री गोपाल भार्गव, सहकारिता मंत्री ने -

(क) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक, वर्ष 2014-15,

(ख) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ मर्यादित,भोपाल का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक, वर्ष 2014-15 तथा

(ग) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित, भोपाल का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक, वर्ष 2014-15,

पटल पर रखे.

(3) श्री उमाशंकर गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री ने –

(क) अटल बिहारी बाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2012-2013,

(ख) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल का 42 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14, तथा

(ग) मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15,

पटल पर रखे.

(4) श्रीमती माया सिंह, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 पटल पर रखे.

## 5. ध्यान आकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से नियम 138 (3) को शिथिल करके, आज की दैनिक कार्यसूची में उल्लेखित 4 ध्यानाकर्षण सूचनाएं सदन में लिये जाने सम्बन्धी घोषणा की गई। तदनुसार –

(1) सर्वश्री रामनिवास रावत, महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, बाला बच्चन, सदस्यगण ने श्योपुर, अशोकनगर सहित अन्य जिलों में सूखे से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री रामपाल सिंह, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(2) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने ग्वालियर चंबल संभाग में मिलावटी सरसों के तेल की बिक्री होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

डॉ.नरोत्तम मिश्र, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

**उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.**

## 6. अध्यक्षीय निर्देश

श्री गोपाल सिंह चौहान, सदस्य द्वारा प्रथम ध्यानाकर्षण पर बिना अनुमति अपनी बात बार-बार कहने पर माननीय उपाध्यक्ष ने "नियम प्रक्रिया के अनुसार ध्यानाकर्षण के समय अपनी बात कहने एवं अपने स्थान पर बैठने के निर्देश दिये."

## 7. ध्यान आकर्षण (क्रमश:)

(3) श्री दुर्गालाल विजय, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्यगण ने श्योपुर, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के अधीन कार्यरत कंपनियों द्वारा अनुबंध की शर्तों का पालन न किये जाने की ओर ऊर्जा मंत्री की अनुपस्थिति में संसदीय कार्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(4) श्री सूबेदार सिंह रजौधा, सदस्य ने मुरैना जिले के ग्राम पिपरोनिया में सर्प दंश से मौत होने पर आर्थिक सहायता न दिये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री रामपाल सिंह, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

**अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.**

## 8. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सभापति ने लोक लेखा समिति का उनचासवां से दो सौ तिरेपनवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

## 9. बधाई

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सभापति, लोक लेखा समिति द्वारा समिति के कुल 205 प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर माननीय अध्यक्ष ने उल्लेख किया कि श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा के सभापतित्व में समिति ने अभूतपूर्व कार्य किया है. जो बहुत दिनों से बेकलॉग चल रहा था, उसको पूरा कर बराबरी में लाये हैं. समिति के काम इसी प्रकार हों, ऐसा मेरा भरोसा है. मैं उनको पुन: बधाई देता हूं.

श्री बाला बच्चन, उपनेता प्रतिपक्ष, डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री एवं श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने भी श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा को बधाई दी. सभापति महोदय द्वारा माननीय अध्यक्ष, सदस्यों, प्रमुख सचिव एवं अधिकारियों-कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया गया.

## 10. अध्यक्षीय घोषणा
**सदन के समय में वृद्धि विषयक**

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से यह घोषणा की गई कि "आज की कार्य सूची के पद 5 तक कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाय".

## 11. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति (क्रमश:)

(2) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्य ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का इक्यासीवां से चौरासीवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

(3) श्री राजेन्द्र पाण्डेय, सभापति ने शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का तृतीय से नवम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

श्री राजेन्द्र पाण्डेय, सभापति महोदय द्वारा आश्वासन समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् माननीय अध्यक्ष, प्रमुख सचिव, सचिव, समिति के अधिकारियों-कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया गया.

(4) श्री विश्वास सारंग, सभापति ने प्रश्न एवं संदर्भ समिति का चतुर्थ एवं पंचम् प्रतिवेदन तथा षष्ठम् एवं सप्तम् (कार्यान्वयन) प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

## 12. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों की याचिकायें पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री आर.डी. प्रजापति (जिला-छतरपुर)
(2) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार (जिला-मुरैना)
(3) श्रीमती झूमा सोलंकी (जिला-खरगौन)
(4) श्रीमती उमा देवी खटीक (जिला-दमोह)
(5) श्री हर्ष यादव (जिला-सागर)
(6) श्री वीर सिंह पंवार (जिला-विदिशा)
(7) श्री सूबेदार सिंह रजौधा (जिला-मुरैना)
(8) श्री आशीष गोविन्द शर्मा (जिला-देवास)
(9) श्री चम्पालाल देवड़ा (जिला-देवास)
(10) श्री प्रेम सिंह (जिला-सतना)
(11) श्री जयवर्द्धन सिंह (जिला-गुना)
(12) श्री मुकेश नायक (जिला-पन्ना)
(13) श्रीमती सरस्वती सिंह (जिला-सिंगरौली)
(14) श्री इंदर सिंह परमार (जिला-शाजापुर)
(15) डॉ. राम किशोर दोगने (जिला-हरदा)
(16) एड. सत्य प्रकाश सखवार (जिला-मुरैना)
(17) श्री हरदीप सिंह डंग (जिला-मंदसौर)
(18) श्री दिनेश कुमार अहिरवार (जिला-टीकगमढ़)
(19) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)
(20) श्री सुखेन्द्र सिंह (जिला-रीवा)
(21) श्री के.के. श्रीवास्तव (जिला-टीकमगढ़)
(22) श्री नीलेश अवस्थी (जिला-जबलपुर)
(23) डॉ. गोविंद सिंह (जिला-भिण्ड)
(24) श्री मधु भगत (जिला-बालाघाट)
(25) श्री प्रदीप अग्रवाल (जिला-दतिया)

## 13. अध्यक्षीय घोषणा
### सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि "आज दिनांक 15 दिसम्बर, 2015 को सायं 7.00 बजे से विधान सभा भवन स्थित मानसरोवर सभागार में माननीय सदस्यों के लिये सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें श्री विशाल सांस्कृतिक समिति, उज्जैन द्वारा नाट्य प्रस्तुति "सिंहस्थ नाद" (लाईट एंड साऊण्ड शो) एवं ओरिएंटल कालेज ऑफ इंजीनियरिंग भोपाल के छात्रों द्वारा नाट्य प्रस्तुति "राम चरित मानस" की दी जायेगी. साथ ही, कार्यक्रम उपरांत माननीय संस्कृति राज्यमंत्री जी की ओर से रात्रि भोज में आप सभी सादर आमंत्रित हैं".

**(अपराह्न 1.03 से 2.35 बजे तक अन्तराल)**

**अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.**

## 14. मंत्री का वक्तव्य

(1) श्री गौरीशंकर बिसेन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना खरीफ मौसम 2015 के लिए कपास पर अनुदान संबंधी वक्तव्य दिया.

श्री बाला बच्चन, उपनेता प्रतिपक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की.

## 15. अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री रामनिवास रावत, सदस्य द्वारा मंत्री के वक्तव्य पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने की मांग पर माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि –"मंत्री के वक्तव्य पर प्रतिक्रिया में नेता प्रतिपक्ष या अधिकृत सदस्य बोलते है यही परम्परा है, इसलिये माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त करने के बाद, आपको अनुमति नहीं है."

## 16. मंत्री का वक्तव्य (क्रमश:)

(2) श्री भूपेन्द्र सिंह, लोक सेवा प्रबंधन मंत्री ने मध्यप्रदेश लोक सेवा केन्द्रों की नीति के संबंध में वक्तव्य दिया.
श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की.

## 17. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री रामपाल सिंह, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 15 सन् 2015) पर विचार किया जाए.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री रामनिवास रावत
(2) श्री रामेश्वर शर्मा
(3) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा
(4) श्री विश्वास सारंग
(5) श्री सुन्दरलाल तिवारी
(6) श्रीमती प्रमिला सिंह
(7) डॉ. गोविन्द सिंह
(8) श्री गोविन्द सिंह पटेल
(9) श्री शैलेन्द्र पटेल
(10) श्री दुर्गालाल विजय
(11) श्रीमती झूमा सोलंकी
(12) श्रीमती सरस्वती सिंह
(13) श्री ओमकार सिंह मरकाम
(14) श्रीमती ऊषा चौधरी

श्री रामपाल सिंह, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना.

(विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ.)

श्री रामपाल सिंह ने संशोधन प्रस्ताव किया कि "खण्ड 3 का लोप किया जाय." साथ ही, खण्ड 4 को पुनर्क्रमांकित कर खण्ड 3 किया जाए तथा यह खण्ड इस विधेयक का अंग बने.

संशोधन स्वीकृत हुआ.
खण्ड 3 इस विधेयक का अंग बना.

श्री रामपाल सिंह ने संशोधन प्रस्ताव किया कि "खण्ड 5 का लोप किया जाय." साथ ही, खण्ड 6 को पुनर्क्रमांकित कर खण्ड 4 किया जाए तथा यह खण्ड इस विधेयक का अंग बने.

संशोधन स्वीकृत हुआ.
खण्ड 4 इस विधेयक का अंग बना.

श्री रामपाल सिंह ने संशोधन प्रस्ताव किया कि "खण्ड 7 का लोप किया जाय."

संशोधन सर्वानुमति से स्वीकृत हुआ.
खण्ड 5 एवं 6 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री रामपाल सिंह ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 15 सन् 2015) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

## 18. मंत्री का वक्तव्य

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने सूखे के कारण 50 प्रतिशत से अधिक प्रभावित फसलों वाले किसानों के बिजली बिलों के भुगतान के आस्थगन की नीति निर्णय संबंधी वक्तव्य दिया.

श्री बाला बच्चन, उपनेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त की गई.

## 19. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 19 सन् 2015) पर विचार किया जाए.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री रामनिवास रावत
(2) श्री शैलेन्द्र जैन
(3) श्री बाला बच्चन, उपनेता प्रतिपक्ष
(4) श्री शैलेन्द्र पटेल
(5) डॉ. योगेन्द्र निर्मल
(6) श्री जितू पटवारी
(7) डॉ. गोविन्द सिंह
(8) श्री सुन्दरलाल तिवारी

## 20. अध्यक्षीय घोषणा
### सदन के समय में वृद्धि विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से यह घोषणा की गई कि "इस विधेयक पर चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाय".

## 21. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 तथा 3 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 19 सन् 2015)पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

## 22. अध्यक्षीय घोषणा
### सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि "आज दिनांक 15 दिसम्बर, 2015 को सायं 7.00 बजे उज्जैन के सिंहस्थ पर और ओरिएंटल कालेज ऑफ इंजीनियरिंग भोपाल के छात्रों द्वारा नृत्य नाटिका की प्रस्तुति दी जायेगी. कार्यक्रम उपरांत माननीय संस्कृति राज्यमंत्री महोदय की ओर से रात्रि भोज में आप सभी सादर आमंत्रित हैं".

अपराह्न 5.02 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 16 दिसम्बर, 2015 (25 अग्रहायण, शक सम्वत् 1937) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

**भगवानदेव ईसरानी,**
**प्रमुख सचिव,**
**मध्यप्रदेश विधान सभा**

**भोपाल:**
**दिनांक: 15 दिसम्बर, 2015**